राजस्थान राज्य सहकारी क्रय–विक्रय संघ लि0, (राजफैड)

4–भवानी सिंह मार्ग, जयपुर

कीटनाशकों की आपूर्ति हेतु दिशा–निर्देश

1. राजफैड, कृषि विभाग व हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाईडस् लिमिटेड, (HIL) नई दिल्ली के मध्य हुए समझौते के तहत हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाईडस् लिमिटेड,(HIL) नई दिल्ली द्वारा राजफैड को सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र व राजस संघ के लिए फरवरी, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक कीटनाशक दवाईयों की आपूर्ति की जायेगी। अतएव पंजीयक, सहकारी समितियॉ, राज0 जयपुर के द्वारा जारी किये जा रहे परिपत्र के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत निजी क्षेत्र से कीटनाशकों के व्यापार पर बिना राजफैड के अनापत्ति प्रमाण–पत्र के पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।

2. इस समझौते के अन्तर्गत हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाईडस् लिमिटेड,(HIL) नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कीटनाशकों की सूची, मूल्य,उदाहरणार्थ वैट की गणना तथा पैक का विवरण संलग्न किया जा रहा है।

3. क्रय–विक्रय सहकारी समितियॉ व राजस संघ मांग अनुसार कीटनाशकों का आदेश क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड को प्रेषित करेंगी। आदेशित मांग हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाईडस् लिमिटेड,(HIL) नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे ''स्टेण्डर्ड पैक्स'' में ही स्वीकार्य होगा तथा आदेशित कीटनाशक वापस नहीं लिया जायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड द्वारा क्रय–विक्रय सहकारी समितियों से प्राप्त आदेश राजफैड मुख्यालय को भेजे जावेंगे। ग्राम सेवा सहकारी समितियॉ अपनी कीटनाशक की मांग अपने अधिकारिता क्षेत्र की क्रय–विक्रय सहकारी समितियों को भेजेगी। अत्यन्त आवश्यक होने पर आदेश सीधे राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजा जा सकेगा।

4. आदेशित कीटनाशी ''स्टेण्डर्ड पैक्स'' में क्रय–विक्रय सहकारी समितियों को आपूर्तित किया जायेगा। मांग अनुसार कीटनाशक आगे ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भेजने की जिम्मेदारी संबंधित क्रय–विक्रय सहकारी समितियों की होगी।

5. हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाईडस् लिमिटेड,(HIL) नई दिल्ली को आदेश दिये जाने के 15 दिवस के अन्तर्गत आदेश की आपूर्ति की जायेगी। आवश्यकता होने पर श्री के.एम.शर्मा, हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाईडस् लिमिटेड,(HIL) 1, शोपिंग सेन्टर, करमपुरा, नई दिल्ली–110015

दूरभाष सं0 011–25938757, फैक्स नं0 011–25464921, 24362116 एवं श्री आनन्द एस.शर्मा, उप महाप्रबन्धक, मो0 नं0 093122–78311 e-mail – hilnor@nde.vsnl.net.in or hilhq@nde.vsnl.net.in or sharma_mmd@yahoo.co.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

6. हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाईडस् लिमिटेड,(HIL) नई दिल्ली द्वारा आपूर्तित किया गया कीटनाशक बिक्री नहीं होने की दशा में लौटाया नहीं जायेगा। अतः समस्त क्रय–विक्रय सहकारी समिति अपनी आवश्यकता की गणना कर ही अपनी मांग राजफैड को भेजें।

7. क्रय–विक्रय सहकारी समिति / ग्राम सेवा सहकारी समिति राज्य व केन्द्र संचालित कृषि आदान अनुदान योजना में कीटनाशकों की उपलब्धि सुनिश्चित कराने के लिये अपने क्षेत्र के उपनिदेशक, कृषि (विस्तार) तथा उद्यान / सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) तथा उद्यान / क्षेत्रीय कृषि कर्मी व सम्बद्व विभागों के सम्पर्क में रहेंगे।

8. हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाईडस् लिमिटेड,(HIL) नई दिल्ली द्वारा उत्पादित कीटनाशी रसायनों की सूचि, मूल्य तथा ''स्टेण्डर्ड पैकिंग'' का विवरण संलग्न है।

9. राजफैड द्वारा क्रय–विक्रय सहकारी समिति को कीटनाशी 30 दिनों के क्रेडिट पर उपलब्ध कराया जायेगा। हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाईडस् लिमिटेड,(HIL) नई दिल्ली द्वारा आपूर्तित कीटनाशकों का बिल राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया जायेगा एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से समितियों को भिजवाया जायेगा। क्रय–विक्रय सहकारी समिति द्वारा 30वें दिन आदेशित कीटनाशी का भुगतान बिल अनुसार राजफैड, जयपुर को चैक / डीडी / आरटीजीएस के रूप में जमा करना होगा। 30 दिन के उपरान्त क्रय–विक्रय सहकारी समिति द्वारा राजफैड को 12 प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा।

10. हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाईडस् लिमिटेड,(HIL) नई दिल्ली द्वारा आपूर्तित कीटनाशी रसायनों की दरें एवं वैट का विवरण संलग्न किया जा रहा है। संबंधित संस्थाओं का संलग्न परिशिष्ट के अनुसार वैट जमा कराने का उत्तरदायित्व होगा। जिन संस्थाओं ने TIN नम्बर नहीं ले रखे है वे TIN नम्बर लेवे। TIN नम्बर होने पर ही संस्थाओं को सप्लाई दी जावेगी।

11. विपणन सहकारी समितियॉ यह सुनिश्चित करेंगी कि कृषि विभाग द्वारा अनुदान पर उपलब्ध कराये गये कीटनाशी रसायनों के बिल निर्धारित प्रपत्र में कृषि विभाग के सक्षम कार्यालय को साप्ताहिक आवृति पर प्रस्तुत किये जावे ताकि कृषि विभाग अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप 15 दिवस में सब्सिडी की राशि का पुर्नभरण कर सकें।

12. विपणन सहकारी समितियॉ विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के निर्देशों के विभिन्न बिन्दुओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेंगी।

13. राजफैड द्वारा हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाईडस् लिमिटेड,(HIL) नई दिल्ली द्वारा उत्पादित कीटनाशी रसायनों का विक्रय सहकारी समितियों को कृषि विभाग के निरीक्षको द्वारा नमूना जॉच कर मानक घोषित होने पर ही उपलब्ध कराया जायेगा।

14. राजफैड के क्षेत्रीय अधिकारी भी अपने कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले जिलों के उपनिदेशक/सहायक निदेशक (कृषि) से निरन्तर सम्पर्क में रहते हुये कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्रियाशील रहेंगे तथा क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।
इन दिशा–निर्देशों में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर डॉ0 शीतल शर्मा, महाप्रबन्धक, कीटनाशक, राजफैड, जयपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

ह.

प्रबन्ध संचालक